न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

निर्णय द्वारा – पीठासीन अधिकारी श्री चन्द्रभान सिंह भाटी (RAS)

प्रकरण संख्या 31/2012 रा.वा.

दायर तारीखः– 15.10.2012
फेसल तारीख : 09.10.2014

श्री रविशंकर पिता काला मीणा वगैरह नि. सोमावत (बिलख) त. ऋषभदेव जिला उदयपुर राज.

– वादी –

बनाम

1 श्री धुला पिता काला मीणा वगैरह नि. सोमावत (बिलख) ऋषभदेव जिला उदयपुर राज.

2 राज्य सरकार जरीये तहसीलदार ऋषभदेव जिला उदयपुर (राज.)

– प्रतिवादी गण–

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान रिनेन्सी एक्ट बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

वादी के बाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा सोमावत (बिलख) पटवार सर्कल किकावत त. ऋषभदेव जिला उदयपुर मे स्थित आराजीयात जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के खाता नम्बर 379/376 व 380/377 की आ.न. 2437/2.16,2466/0.16,2467/0.32, 2473/0.04, 2474/0.04, 2475/0.05, 2476/0.04, 2477/0.86, कुल किता 8 रकबा 3.67 हेक्टर कृषि भूमि वादी को दिनांक 4/2/70जरीये आवंटन से प्राप्त हुई है। तब से आज तक वादी निरन्तर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उक्त कृषि भूमि पर (प्रतिवादी) नं.1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर अतिक्रमण कर बेदखल करें। वादी भूतपुर्व सैनिक होने से राज्य सरकार द्वारा ऐलोटमेण्ट की गई है जिसका विधिवत कब्जा सुपुर्द किया गया। प्रतिवादी को कोई अधिकार नहीं है कि वह वादी के अधिपत्य की कृषि भूमि पर किसी प्रकार का अनाधिकृत प्रवेश कर कृषि कार्य करें एवं वादी को बेदखल करने की कोशिश करे। वादी की उक्त कृषि भुमि पर प्रतिवादी जबरन अतिक्रमण करना चाहता है। अगर प्रतिवादी द्वारा वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया गया तो प्रतिवादी के मुकाबले वादी को अपुर्णीय क्षति होगी। जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। वाद ग्रस्त कृषि भूमि में वादी बारामासी फसल लेता आ रहा है। जब जब भी वादी द्वारा फसल बोई गई तब प्रतिवादी नं. 1 द्वारा उक्त फसल को चोरी कर काट ली जाती है। इस बाबत् कई बार गांव के पंचों के समक्ष भी विवाद का समाधान किया गया लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे है एवं वो निरंतर रूप से वादी द्वारा बोई गई फसल को काट कर ले जाना एवं पुरे खेत पर की गई बाढ को काट लेना और और अतिक्रमण करना आदतन कार्य बन गया है। इसलिये वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि न्यायालय आप माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी कृषि भूमि मे अनाधिकृत रूप से प्रवेश एवं अतिक्रमण करना चाहते है ऐसी स्थिति मे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे । इसलिये वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरीये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी न. 1 श्री धुला ने उपस्थित होकर वकील श्री विक्रम कुमार नायक ने वकालत नामा पेश किया तथा जवाब दावा प्रस्तुत किया वादी के वाद को अस्वीकार करते हुये अपने विशेष(कथन)जवाब मे बताया है कि वादी एवं प्रतिवादी एक ही गॉव के निवासी है। तथा दोनो क पिता का नाम भी काला ही था सेटलमेन्ट के समय भू–अभिलेख अधिकारी की गलती से जमा बन्दी मे नाम गलत अंकित हो गया उसी का अनुचित लाभ वादी उठाना चाहता है प्रतिवादी विगत 70–80 वर्षो से उपरोक्त आराजीयात पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करता आ रहा है विकसीत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा बनाया गया पुराना अकान भी है जिसमे प्रतिवादी सपरिवार निवास करता आ रहा है। प्रतिवादी ने भूमि को काफी मेहनत कर कृषि लायक बनाया है विवादित भूमि पर प्रतिवादी द्वारा मेड बन्दी जिसकी संख्या 6 है जिसकी एक की लागत करीब एक लाख रूपये है जो आज भी मौजुद है वह भी 20–25 वर्ष पूर्व बनाई गई है विकसीत भूमि पर थुअर की बाड भी है वादी द्वारा जो दावा प्रस्तुत किया है वह पूर्णत मनगढंत व असत्य है अतः वादी का वाद काबिल निरस्त योग्य है इसलिये दावा खारिज किया जावे वादी तथा उनके अधिवक्ता विशेष कथन का जवाब प्रस्तुत नही करने से विशेष कथन का जवाब बंद किया गया प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित नही होने से प्रतिवादी के विरूध एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली गई तथा वादी की एक पक्षीय शहादत ली गई वादी ने अपने स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एंव दस्तावेज सबुत मे बिलानाम भूमि प्रकरण संख्या 355/70 आवंटन का पटटा E x P1 जमा बन्दी संवत 2068 से 2071 E x P 2-3 , पासबुक E x P 4-5 मे

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला–उदयपुर

स्तुत किया गया है वादी एवं उनके अधिवक्ता और कोई शहादत–सबुत प्रस्तुत नही करना चाहते है इसलिये वादी की शहादत बन्द की गई।विद्वान अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस मुख्य रूप से सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता की बहस अपने वाद पत्र अनुसार रही । विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि वाद ग्रस्त भूमि वादी को सैनिक होने के नाते आवंटन सन 1970 मे हुई थी जब से वादी निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रतिवादी जबरन अतिक्रमण कर भमि को हडपना चाहता है इसलिये जरीये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक है

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया । वाद वर्णित भूमि का एक मात्र खातेदार काश्तकार वादी है प्रतिवादी नं 1 धुला ने जवाब दावे एंव विशेष कथन प्रस्तुत करने के बाद किसी प्रकार से मामले मे सारा जो ही की है न ही अपने जवाब के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है इसलिये प्रतिवादी का कथन विश्वास योग्य नही है वादी का वाद प्रस्तुत दस्तावेज एवं शहादत सबुत से साबित होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाता है कि मौजा सोमावत की आराजी नम्बर 2481 / 2.16 2466 / 0.16, 2467 / 0.32, 2473 / 0.04, 2474 / 0.04, 2475 / 0.05, 2476 / 0.04, 2477 / 0.86, कुल किता 8 रकबा 3.76 हेक्टर कृषि भूमि मे प्रतिवादी न. 1 प्रवेश कर कृषि कार्य नही करे । न ही अतिक्रमण करे। वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान, रूकावट पैदा नही करे। उक्त कृत्य स्वंय अथवा अपने नौकरो ,मजदूरो,एजेन्टो आदी से भी नही करावे दौराने वाद प्रतिवादी ने वादी के कृषि भूमि के किसी हिस्से पर अतिक्रमण कर लिया हो तो स्वंय प्रतिवादी नं 1 के खर्चे से हटाया जा कर कब्जा वादी को तहसीलदार ऋषभदेव सिर्पुद करे । तथा प्रतिवादी नं 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे । निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव जिला–उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
ऋषभदेव, जिला–उदयपुर